पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2024 का आपराधिक विविध संख्या 19801

पीएस से उत्पन्न कांड संख्या-144 वर्ष-2021 थाना- कदवा जिला-कटिहार

==========

मो. अफसर उर्फ मो. अफसर आलम पुत्र स्व. मो. मेहरुद्दीन निवासी ग्राम-गेठौरा, वार्ड नंबर 13, थाना- कदवा, जिला. -कटिहार, बिहार

... ... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

बिहार राज्य

... ... विपरीत पक्ष

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ताओं की ओर से	:	श्री एन.के. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बक्शी एसआरपी सिंह, एसी. श्री चक्र पाणि, ए.सी. श्री अरविंद कुमार, अधिवक्ता श्री कुमार राजदीप, अधिवक्ता सुश्री दीक्षा कुमारी, अधिवक्ता
विपक्षी पक्ष/पक्षों की ओर से	:	श्री जगधर प्रसाद, ए.पी.पी.

==========

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 439 और धारा 440—नियमित जमानत—याचिकाकर्ता के खिलाफ दो अलग-अलग अधिनियमों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, अर्थात, एक केंद्रीय अधिनियम के तहत और दूसरा राज्य अधिनियम के तहत -रिकॉर्ड बंट गया है—एक विशेष मद्यनिषेध न्यायालय के लिए और दूसरा एन.डी.पी.एस. न्यायालय के विचारण के लिए—सत्र न्यायाधीश ने यह मुद्दा उठाया है कि क्या यह उचित होगा कि एक ही आरोपी व्यक्ति पर दो अलग-अलग न्यायालयों द्वारा विभिन्न अधिनियमों, अर्थात् नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 और बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 द्वारा कवर किए गए अपराधों को करने के लिए मुकदमा चलाया जाए, जो एक ही घटना से उत्पन्न होते हैं और पीएस केस नंबर, और एक घटना और एक पीएस से उत्पन्न होते हैं—

अधिनियम, 1985 की धारा 36-क (2) जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अधिनियम, 1985 के तहत अपराध का विचारण करते समय एक विशेष न्यायालय अधिनियम, 1985 के तहत अपराध के अलावा किसी अन्य अपराध का भी विचारण कर सकता है, जिसके साथ अभियुक्त, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत, उसी विचारण में आरोपित किया जा सकता है–अधिनियम, 1985 एक केन्द्रीय अधिनियम है और विषय भारत के संविधान की अनुसूची-VII की सूची I-संघ सूची (क्रम संख्या 59) के दायरे में आता है, जबकि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 भारत के संविधान की अनुसूची-VII की सूची II-राज्य सूची (क्रम संख्या 8) के दायरे में आता है–अधिनियम की धारा 83, 2016 में कहा गया है कि अधिनियम, 2016 की धारा 76 की उप-धारा (1) में निहित किसी भी बात के बावजूद, अधिनियम, 2016 के तहत दंडनीय सभी अपराधों का विचारण सत्र न्यायालय द्वारा किया जाएगा- अधिनियम, 2016 के तहत विधायी निर्देश यह है कि विचारण सत्र न्यायालय द्वारा आयोजित किया जाएगा—अधिनियम, 2016 के तहत तय किए गए आरोप दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किए गए सिद्धांतों और दिशानिर्देशों के अनुसार बनाए गए हैं और इसलिए, अधिनियम, 2016 के अनुसार यह एनडीपीएस न्यायालय की शक्ति के भीतर है कि वह अधिनियम, 1985 के साथ-साथ अधिनियम, 2016 के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चला सके- एक एफआईआर के लिए कोई दो परीक्षण नहीं होंगे, भले ही, दो अलग-अलग अपराध हैं–एक मुकदमा एनडीपीएस न्यायालय के समक्ष जारी रखा जाना है–जमानत दी गई– मामला बड़ी पीठ को भेजा गया।

(पैरा 5 से 11)

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

न्यायालय: माननीय न्यायमूर्ति डॉ. अंशुमान

मौखिक निर्णय

दिनांक : 08-05-2024

याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सहायक अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान ए.पी.पी. को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता ने 20.06.2021 को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8, 20(बी) (ii), सी के साथ बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत दर्ज जीआर संख्या 2365/2021 से उत्पन्न कदवा पीएस केस संख्या 144/2021 के संबंध में नियमित जमानत मांगी है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की जमानत अर्जी पहले सीआरपीसी विविध संख्या 72502 में पारित आदेश दिनांक 14.10.2022 द्वारा खारिज कर दी गई थी। 2021 को याचिकाकर्ता को यह छूट दी गई कि वह आरोप तय होने के एक साल बाद जमानत के लिए अपनी प्रार्थना को नवीनीकृत कर सकता है। अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में 18.01.2023 को आरोप तय किया गया है और एक साल से अधिक समय बीत चुका है, इसलिए याचिकाकर्ता को जमानत दी जा सकती है। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता का आपराधिक इतिहास साफ नहीं है और उसके खिलाफ दो आपराधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से दोनों मामलों में वह जमानत पर है। याचिकाकर्ता वर्तमान मामले में 21.06.2021 से हिरासत में है।

4. राज्य के विद्वान एपीपी ने प्रस्तुत किया है कि इस मामले में एक रिपोर्ट मांगी गई है और उक्त रिपोर्ट से, जो इस न्यायालय को सत्र न्यायाधीश, कटिहार के पत्र संख्या 91/2024 के *माध्यम से प्राप्त हुई है* , इस न्यायालय को यह पता चला है कि सत्र न्यायाधीश ने अपनी रिपोर्ट में एक कानूनी मुद्दा उठाया है, जो इस प्रकार है: -

> *"5) दिनांक 26.06.2023 को न्यायालय ने अनन्य विशेष आबकारी न्यायालय क्रमांक- 2, कटिहार ने निम्न के संबंध में रिकॉर्ड विभाजित किया एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20(बी)(ii), सी के तहत अपराध बिहार मद्य निषेध अधिनियम की धारा 30(ए) से एवं आबकारी अधिनियम, 2016 और आगे 04.12.2023 ने इस रिकॉर्ड को स्थानांतरित कर दिया इस न्यायालय में अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए धारा 20(बी)(ii), सी के तहत अपराध*

एनडीपीएस अधिनियम, 1985 में कहा गया है कि बिहार उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 के धारा 84(i) के अनुसार सभी विशेष आबकारी अदालतें केवल आबकारी अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए ही निर्दिष्ट हैं। अब अपराधों के लिए मुकदमा आबकारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया जा रहा है विशेष न्यायालय में आयोजित विशेष उत्पाद संख्या-2, कटिहार एवं परीक्षण एनडीपीएस के तहत किए गए अपराधों के लिए अधिनियम न्यायालय में चलाया जा रहा है सत्र सह-विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) अधिनियम), कटिहार के परिणामस्वरूप दो अलग-अलग परीक्षणों से अनेकता पैदा होती है ।

6) इस संबंध में पत्र क्रमांक 6092/2023 दिनांक 23.12.2023 को माननीय उच्च न्यायालय से दिशा-निर्देश प्राप्त करने हेतु भेजा गया कि क्या यह उचित होगा कि वही आरोपी व्यक्ति पर दो लोगों द्वारा मुकदमा चलाया जाएगा अपराध करने के लिए अलग-अलग न्यायालय विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले अपराध अर्थात आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा अनन्य विशेष आबकारी न्यायालय और एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई की जाएगी उसी मामले से उत्पन्न एक अन्य न्यायालय घटना और पीएस केस संख्या, जबकि Cr.PC की धारा 220(1) में कहा गया है कि "यदि, कार्य की एक श्रृंखला में ऐसा एक साथ जुड़े हुए हैं ताकि एक ही चीज़ बन जाए लेन-देन, एक से अधिक अपराध एक ही व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध, वह एक ही मुकदमे में आरोप लगाया जाना और मुकदमा चलाया जाना ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए।" यह आगे कहा गया है सम्मानपूर्वक निवेदन है कि आज तक, माननीय उच्च न्यायालय से इस न्यायालय को कोई दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हआ है और यह अभी भी प्रतीक्षारत है।"

5. उक्त पत्र में किए गए अनुरोध को पढ़ने के बाद, यह न्यायालय अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बक्शी एसआरपी सिंह, अधिवक्ता और श्री चक्र पाणि, अधिवक्ता से इस मुद्दे पर सहायता करने का अनुरोध करता है। कानूनी सवाल यह है कि वर्तमान मामले यानी कदवा पीएस केस नंबर 144/2021 में, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के साथ-साथ बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 के तहत अपराध मौजूद हैं और 26.06.2023 के आदेश के *अनुसार* , रिकॉर्ड को विभाजित किया गया है। एक एक्सक्लूसिव स्पेशल एक्साइज कोर्ट की अदालत के लिए और दूसरा एनडीपीएस कोर्ट के ट्रायल के लिए। सत्र न्यायाधीश ने यह मुद्दा उठाया है कि क्या यह उचित होगा कि एक ही घटना और पुलिस थाना केस संख्या से उत्पन्न विभिन्न कृत्यों (एनडीपीएस अधिनियम, 1985 और बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016) के

अंतर्गत आने वाले अपराधों के लिए एक ही आरोपी व्यक्ति पर दो अलग-अलग अदालतों द्वारा मुकदमा चलाया जाए, और एक ही घटना और एक पुलिस थाने से उत्पन्न अपराध विशेष रूप से तब जब सीआरपीसी की धारा 220(1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि

" *यदि एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक अपराध किए जाते हैं, तो उस पर प्रत्येक अपराध के लिए एक ही बार आरोप लगाया जा सकता है तथा एक ही मुकदमे में मुकदमा चलाया जा सकता है।* "

6. मामले के इस दृष्टिकोण से और विशेष रूप से इस प्रश्न का उत्तर देने के उद्देश्य से, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम, 1985 और बिहार निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 के प्रासंगिक प्रावधानों पर गौर किया जाना आवश्यक है। उनके अनुसार, एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 36-ए (2) और बिहार निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 की धारा 83 और 84 (3) प्रासंगिक हैं जो इस प्रकार हैं:-

एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 36-ए (2) में कहा गया है:-

> *"इस अधिनियम के तहत किसी अपराध की सुनवाई करते समय, एक विशेष न्यायालय भी किसी अपराध की सुनवाई कर सकता है इस अधिनियम के तहत अपराध के अलावा जिसके तहत आरोपी को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, के अनुसार उसी मुकदमे में आरोप लगाए गए।"*

बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 की धारा 83 में कहा गया है:-"

> *इसमें निहित किसी भी बात के बावजूद इस अधिनियम की धारा 76 की उपधारा (1) के अधीन, इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय सभी अपराध सत्र न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जाएगा।"*

बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 की धारा 84(3) में कहा गया है:-

> *"इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए विशेष न्यायालय द्वारा चलाए जाने वाले मुकदमे को किसी अन्य न्यायालय (जो विशेष न्यायालय न हो) में अभियुक्त के विरुद्ध किसी अन्य मामले के मुकदमे से अधिक वरीयता प्राप्त होगी तथा ऐसे अन्य मामले के मुकदमे की अपेक्षा उसे प्राथमिकता दी जाएगी।"*

इसके अलावा, सीआरपीसी की धारा 220(1) के प्रावधान भी महत्वपूर्ण हैं।

7. वरिष्ठ अधिवक्ताओं और अधिवक्ता श्री चक्र पाणि द्वारा दिए गए तर्कों के आधार पर इस न्यायालय को यह पता चलता है कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सबसे प्रासंगिक धारा एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 36-ए (2) है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि *इस अधिनियम के तहत अपराध की सुनवाई करते समय, एक विशेष न्यायालय इस अधिनियम के तहत अपराध के अलावा किसी अन्य अपराध की भी सुनवाई कर सकता है, जिसके लिए अभियुक्त पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत उसी मुकदमे में आरोप लगाया जा सकता है।* बेशक, एनडीपीएस अधिनियम, 1985 एक केंद्रीय अधिनियम है और यह विषय भारत के संविधान की अनुसूची 7 की सूची I- संघ सूची (क्रम संख्या 59) के दायरे में आता है, जबकि बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 राज्य अधिनियम है जो भारत के संविधान की अनुसूची 7 की सूची II- राज्य सूची (क्रम संख्या 8) के दायरे में आता है। जबकि, बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 की धारा 83 में कहा गया है कि *इस अधिनियम की धारा 76 की उपधारा (1) में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस अधिनियम के तहत दंडनीय सभी अपराधों की सुनवाई सत्र न्यायालय द्वारा की जाएगी।* यहाँ वर्तमान मामले में, NDPS की सुनवाई करने वाला न्यायालय सत्र न्यायालय है। बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत विधायी निर्देश यह है कि सुनवाई सत्र न्यायालय द्वारा की जाएगी।

8. इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए कथन धारा 36-ए (2) के तहत पहले से ही निर्धारित है, जहां कानून निर्माताओं द्वारा यह कहा गया है कि विशेष न्यायालय इस अधिनियम के तहत अपराध के अलावा किसी अन्य अपराध की भी सुनवाई कर सकता है जिसके लिए अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत उसी मुकदमे में आरोपित किया जा सकता है। बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 के तहत लगाए गए आरोप दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में दिए गए सिद्धांतों और दिशानिर्देशों के अनुसार बनाए गए हैं और इसलिए, अधिनियम के अनुसार, एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के साथ-साथ बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाना एनडीपीएस न्यायालय की शक्ति के भीतर है। वर्तमान मामले में, इस कारण से कि अभियुक्त पर एक ही मुकदमे में सीआरपीसी के तहत आरोप लगाया जाना है और इसलिए, दो अलग-अलग मुकदमों के बजाय, एनडीपीएस अदालत के समक्ष एक मुकदमा जारी रखना होगा।

9. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एन.के. अग्रवाल और श्री बख्शी ने एक ही

आवाज उठाई कि वर्तमान स्थिति में, एक ही मुकदमा होना चाहिए और यह केवल और केवल एनडीपीएस कोर्ट के समक्ष होना चाहिए क्योंकि एनडीपीएस कोर्ट सत्र न्यायालय भी है।

10. विद्वान वकील श्री चक्र पाणि ने कहा कि इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए यह आवश्यक है कि एनडीपीएस अधिनियम, 1985 केंद्रीय अधिनियम है, जबकि बिहार निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 राज्य अधिनियम है। अधिवक्ता श्री चक्र पाणि ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बख्शी और श्री एनके अग्रवाल द्वारा दिए गए तर्कों का भी समर्थन किया और कहा कि वर्तमान मामले में, मुकदमा निश्चित रूप से एनडीपीएस कोर्ट के समक्ष ही चलाया जाना चाहिए।

11. वर्तमान मामले में, चर्चा केवल एक राज्य अधिनियम और वर्तमान में केंद्रीय अधिनियम बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 और एनडीपीएस अधिनियम, 1985 से संबंधित स्थिति पर हो रही है। चर्चा के आधार पर, यह न्यायालय केवल एक प्रश्न का उत्तर दे रहा है जिसे सत्र न्यायालय, कटिहार द्वारा रिपोर्ट में इस न्यायालय के समक्ष रखा गया है, जिस पर वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा सहायता प्रदान की गई है और अधिवक्ता *एमिकस क्यूरी हैं* । यह न्यायालय इस मुद्दे पर पूरी तरह से सहमत है जैसा कि वरिष्ठ वकील श्री बख्शी ने उत्तर दिया है कि एक एफआईआर के लिए दो मुकदमे नहीं होंगे, भले ही दो अलग-अलग अपराध हों, यानी एक बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 के तहत और दूसरा एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत और इसलिए, यह उत्तर तदनुसार है।

12. यह न्यायालय विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का आभारी है श्री बख्शी एसआरपी सिंह, श्री एनके अग्रवाल और अधिवक्ता श्री चक्र पाणि को इस न्यायालय में आदेश पारित करने के समय उत्पन्न हुए मुद्दे पर सहायता करने के लिए आमंत्रित किया है और यह न्यायालय इस मुद्दे पर निर्णय देने में न्यायालय का समय बचाने के लिए उन्हें विशेष धन्यवाद देता है।

13. जहां तक इस मामले की योग्यता का सवाल है, न्यायालय एतद्द्वारा याचिकाकर्ता को कदवा थाना कांड संख्या 144/2021 के संबंध में जीआर संख्या 2365/2021 से उत्पन्न विशेष न्यायाधीश, कटिहार की संतुष्टि के लिए 30,000/- (तीस हजार रुपये) के जमानत बांड और समान राशि के दो जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर जमानत प्रदान करता है, जो सीआरपीसी की धारा 437(3) के तहत निर्धारित शर्तों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों के अधीन

है:

(i) जमानत देने वालों में से एक याचिकाकर्ता का पारिवारिक सदस्य होना चाहिए जो अपनी जमानत साबित करने के लिए आधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध कराएगा। *सदाशयी;*

(ii) याचिकाकर्ता को प्रत्येक तिथि पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना होगा और बिना किसी उचित कारण के लगातार दो तिथियों तक ऐसा करने में विफल रहने पर ट्रायल कोर्ट द्वारा स्वयं ही उसके जमानत बांड को रद्द कर दिया जाएगा;

(iii) याचिकाकर्ता एक वर्ष तक प्रत्येक माह संबंधित पुलिस थाने में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उपस्थित होगा;

(iv) याचिकाकर्ता किसी भी तरह से गवाहों को प्रेरित करने, वादा करने या धमकी देने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं करेगा, ऐसा न करने पर राज्य जमानत बांड रद्द करने के लिए कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगा; तथा

(v) याचिकाकर्ता पुनः कोई आपराधिक अपराध करने से बचेगा, अन्यथा राज्य को जमानत बांड रद्द करने के लिए कदम उठाने की स्वतंत्रता होगी।

14. तथापि, याचिकाकर्ता को जमानत केवल तभी दी जाएगी जब ट्रायल कोर्ट इस बात से संतुष्ट हो जाए कि याचिकाकर्ता उसके खिलाफ लंबित किसी भी मामले में फरार नहीं है, जिसका विवरण इस प्रकार है:-

(I)- कटिहार रेल पुलिस थाना वाद संख्या 1/2011.

(II)-कटिहार महिला थाना वाद संख्या 87/2016.

15. इस मामले में निपटान का आदेश पारित करने के बाद, मैं पाता हूं कि कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर देना आवश्यक है।

इस समस्या का समाधान खोजने के लिए जो ट्रायल कोर्ट के समक्ष *बार-बार उत्पन्न हुई है। इसलिए, इस पर बड़ी बेंच द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है जिसके लिए संदर्भ तैयार करना आवश्यक है जो इस प्रकार हैं: -*

> *"आपराधिक मामले की सुनवाई होनी चाहिए किस न्यायालय के समक्ष?*
>
> *(क) जब उक्त आपराधिक मामला दो या अधिक के तहत दर्ज किया गया अपराध, जो अलग-अलग के अंतर्गत आते हैं ऐसे*

केन्द्रीय अधिनियम जिनके लिए दो या अधिक विभिन्न विशेष न्यायालयों को नियुक्त किया गया क़ानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

(ख) जब उक्त आपराधिक मामला दो या अधिक अपराधों के तहत दर्ज किया गया जो एक या एक से अधिक केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत आता है अधिनियम और एक या एक से अधिक राज्य अधिनियम दो या अधिक अलग-अलग विशेष न्यायालय क़ानून के तहत परीक्षण के लिए नियुक्त किया गया।

(ग) जब उक्त आपराधिक मामला दो या अधिक अपराधों के तहत दर्ज किया गया जो आईपीसी और विशेष के अंतर्गत आते हैं विभिन्न स्थितियों वाले कार्य जैसे,

(i) भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत अपराधों के लिए उच्च दंड का प्रावधान है। सजा और विशेष अधिनियम का प्रावधान कम सज़ा (उदाहरण के लिए:- धारा 420 के तहत मामला आईपीसी की वह धारा जिसके तहत मुकदमा चलाया जाना आवश्यक है ईसी अधिनियम की धारा 7 के तहत निर्धारित जिसके लिए संक्षिप्त सुनवाई निर्धारित की गई है कानून के अनुसार।

(ii) भारतीय दंड संहिता की धारा 302 जिसके लिए अपराधों के साथ सत्र परीक्षण प्रदान किया गया आबकारी अधिनियम के तहत जिसके लिए विशेष परीक्षण प्रदान किया।

(iii) आईपीसी, आबकारी अधिनियम के तहत अपराध और ईसी अधिनियम (विशेष कानून विशेष परीक्षण)

(iv) भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत अपराध जिसके तहत परीक्षण का वारंट दिया गया है एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध जिसमें संक्षिप्त सुनवाई की व्यवस्था की गई।

16. यह न्यायालय इस मामले को माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष विनम्रतापूर्वक भेजता है ताकि इस संदर्भ का उत्तर देने के लिए बड़ी पीठ का गठन किया जा सके और ट्रायल कोर्ट के लिए दिशा-निर्देश प्रदान किए जा सकें।

(डॉ. अंशुमान, न्यायमूर्ति)

दिव्यांशु/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।